



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2015

श्रावण 22, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

संख्या 1/2015-460-91-09-2014

लखनऊ, 13 अगस्त, 2015

अधिसूचना

प०आ०-514

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सम्य-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/1-14-2010-33-(100)-2010 टी.सी.-3, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-34 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

| क्र०-सं० | विभाग का नाम | सेवा संख्या | प्रकरण | निस्तारण की समय-सीमा | | |
|----------|---------------------------|-------------|---|----------------------|------------|--------------|
| | | | | आवेदन की तिथि से | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग | 1 | स्टाम्प पेपर की वापसी के अनुरोध पर धन का भुगतान | 30 दिवस | 30 दिवस | 30 दिवस |

आज्ञा से,
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2015-460-91-09-2014, dated, August 13, 2015.

No.1/2015- 460 -91-09-2014

Dated Lucknow, August 13, 2015

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act, no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P.Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33-(100)-2010 T.C.III, dated January 15, 2011 as amended from time to time :-

AMENDMENT

IN the aforesaid notification, in the Schedule, *after* entries at serial no. 34 the following entries shall columnwise be *inserted*, namely:-

| Sl.No. | Name of Department | No. of service | Subject | Time Limit for disposal | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | From the date of application | First Appeal | Second Appeal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | Stamp and Registration Department | 1 | Payment of money on request for refund of Stamp Paper | Thirty days | Thirty days | Thirty days |

By order,
S.N.SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 434 राजपत्र (हि०)-2015-(1015)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 01 लोक सेवा प्रबन्धन-2015-(1016)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।